सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
भाद्र *18,* सोमवार, *शाके 1946*-सितम्बर 09, *2024*	
Bhadra 18, Monday , Saka 1946- August 09, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 24, 2024

संख्या: 956:- कार्यालय परियोजना प्राधिकारी एवं अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड चित्तौड़गढ़ (राजस्थान सिंचाई के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम 2000 की धारा-3(1) के अन्तर्गत)

अरनिया लघु सिंचाई परियोजना जिला-चित्तौडगढ पर उक्त राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन मे कृषकों की सहभागिता अधिनियम-2000 (नियम-2002) की धारा-8(1) के तहत अधिसूची क्रमांक 07/ भू0अ0/ज0स0/2023/384-94 दिनांक 14-03-2024 द्वारा लागू किया जा चुका है, राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम-2000 के अन्तर्गत धारा-3(1) के अन्तर्गत सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता के लिए और उससे संसवत या अनुप्रासंगिक विषयों को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित सिंचाई प्रणाली के अधीन अरनिया बांध के अन्तर्गत आने वाले जल उपयोगिता क्षेत्र एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को प्रशासनिक एवं जल आधार के तहत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है। इनके सर्वेक्षण संख्याकों का विस्तृत विवरण निर्धारित प्रक्रियानुरूप चस्पा किया जावेगा।

क्र. स.	जल उपयोक्ता संगम का नाम	जल उपयोक्ता संगम का सुभिन्न नाम	जल उपयोक्ता संगम का में सम्मिलित कमाण्ड क्षेत्र मेन केनाल/वितरिका माईनर का नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक	जल उपयोक्ता संगम के अन्तर्गत जल उपयोक्ता क्षेत्र के ग्रामों/चको के नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का सीसीए हेक्टेयर
1	अरनिया लघु सिंचाई परियोजना जल	AR/WUA	बांयी मुख्य नहर	TC-1	अरनिया, जेल वालों का खेडा (चक 1 से 3)	122.00
			दांयी मुख्य नहर	TC-2	पावटिया, रूपाखेडी, अरनिया	135.00

	उपयोक्ता संगम				(चक 1 से 3)	
			दांयी मुख्य नहर	TC-3	हापाखेड़ी, शम्भुपुरा (चक 4)	130.00
			दांयी मुख्य नहर	TC-4	हापाखेड़ी (चक 5)	55.00

राज कुमार शर्मा,
परियोजना अधिकारी,
एवं अधिशाषी अभियन्ता,
जल संसाधन खण्ड चितौडगढ़।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।